INDIA COURT FEE 20 रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES
भारत INDIA 5 रु. Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत INDIA 5 रु. Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी नि0/3014/III/15

श्री ब्रजेन्द्र सिंह एडवोकेट द्वारा आज दि. 07/09/15 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामचरण तनय जसरथ लोधी,
2. चिन्तामण तनय जसरथ लोधी,
3. लखन तनय जसरथ लोधी,
4. प्रेमलाल तनय काशीराम लोधी,
5. हरीराम तनय काशीराम लोधी,
6. अनंतराम तनय काशीराम लोधी,
7. भागीरथ तनय काशीराम लोधी,

समस्त निवासी– ग्राम रामनगर, तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

-- आवेदकगण

बनाम

1- महिला मननुबाई लोधी पत्नी निरपत लोधी पुत्री प्यारेलाल लोधी, निवासी ग्राम रामनगर, तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

2- म.प्र. शासन

-- अनावेदिका

Received R.V. Sh. 7/9/15

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान 07/9/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08.04.2015 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 43/4-15/अपील।

माननीय महोदय,

आवेदकगणों की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैः-

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, ग्राम रामनगर स्थिल भूमि सर्वे नम्बर 576, 578, 585, 604, 605, 606, 607, 655, 657, 760, 761, 763 कुल रकवा 5.977 हैक्टेयर पर वर्ष 1964 से आवेदकगण के पिता जसरथ एवं काशीराम (दोनों भाई) भूमिहीन थे, जिसका पत्रावली नम्बर 76XC दिनांक 19.03.1959 भूमिहीन, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश पर दर्ज था, जो तहसीलदार का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–3014–दो/2015 **जिला–टीकमगढ**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–10–2015	आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द सिंह धाकड़ अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बना पर्याप्त कारण दर्शाए तथा संहिता की धारा 5 के आवेदन पत्र को स्वीकार करने के आधार बताए अनावेदक का धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है जो उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा निवेदन किया गया कि शेष तथ्य निगरानी मेमों में अंकित है जिनके आधार पर प्रकरण ग्राह्य करने का निवेदन किया गया । आवेदक अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत निगरानी मेमों का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी विवादित आदेश दिनांक–8.4.15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभी धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से किसी भी पक्ष के हित प्रभावित हुए हो ऐसी कोई संभावना वर्तमान परिलक्षित नहीं हो रही है क्योकि प्रकरण अभी अंतिम तर्क हेतु नियत है जहां पर दोनों पक्षों को अपना पक्ष समर्थन करने का प्रर्याप्त अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में प्रकरण में ग्राह्यता का समुचित आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	